

बिना इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर प्रति लीटर 2 रुपये टैक्स

एक अक्टूबर से बिना इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर प्रति लीटर



दो रुपये का उत्पाद शुल्क
लगेगा। देश में इथेनॉल मिश्रित
ईंधन को बढ़ावा देने और वर्ष
2025 तक 20% इथेनॉल
ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा करने के
लिए सरकार ने कड़ाई की है।
इथेनॉल मिश्रित ईंधन का प्रयोग

बढ़ने का सीधा लाभ किसानों व चीनी मिलों को होगा।